भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 198

सोमवार, 1 दिसंबर, 2025/10 अग्रहायण, 1947 (शक)

चाय बागान श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण योजनाएं

†198. डॉ. डी.रवि कुमार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तमिलनाडु के चाय बागानों में काम करने वाले श्रमिकों के सामने लगातार आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी है, जिनमें कम वेतन, रहने की खराब स्थिति, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की कमी, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी जैसे वैधानिक लाभों का अनियमित भुगतान और असुरक्षित कार्य स्थितियां शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान चाय बागानों में उचित मजदूरी, लाभों का समय पर भुगतान, आवास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान और श्रमिक कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चाय बागानों के बंद होने या कामकाज कम होने के बीच चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों की रोज़ी-रोटी बचाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में संघर्ष कर रहे चाय बागानों को पुनर्जीवित करने और चाय बागान मजदूरों के समग्र कल्याण में सुधार करने के लिए कोई अतिरिक्त योजना लाने का है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): वेतन संहिता, 2019 के तहत, चाय बागान श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तय करने और संशोधित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है, जो इस क्षेत्र के लिए "समुचित सरकारें" हैं। इसके अलावा, चाय बागान श्रमिकों के लिए वेतन दरें उत्पादक संघों, श्रमिक संघों और राज्य सरकार के बीच द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय समझौतों के माध्यम से निर्धारित की जाती हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में बागान में स्वास्थ्य और कल्याण सुविधाओं से संबंधित उपबंध जैसे कि पेयजल, सफाई, चिकित्सा देखभाल, कैंटीन, क्रेच, मनोरंजन, आवास और शिक्षा शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 एक सक्षम उपबंध भी उपलब्ध कराती है जिसके तहत बागान मालिक अपने श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत पंजीकृत करने का विकल्प चुन सकते हैं।

इसके अलावा, तमिलनाडु सहित चाय क्षेत्र के समग्र विकास के लिए भारत सरकार चाय बोर्ड के माध्यम से चाय विकास और संवर्धन स्कीम कार्यान्वित करती है।

****